# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
## पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

**(1) पंचायत निगरानी संख्या : 77/2024 जीसीएमएस नम्बर : 2024/137**

| प्रार्थीः— | बनाम | अप्रार्थीया :— |
|---|---|---|
| विकास अधिकारी, पंचायत समिति रोहट, जिला पाली | | अनुपालसिंह पुत्र प्रेमसिंह निवासी— 166 राजपूतों का बास, बासनी मार्ग, ग्राम पोस्ट— गोठड़ा, पं.स. मुण्डवा, जिला नागौर (राज.) |

**(2) पंचायत निगरानी संख्या : 168/2024 जीसीएमएस नम्बर : 2024/278**

| प्रार्थीयाः— | बनाम | अप्रार्थीया :— |
|---|---|---|
| भरत पटेल पुत्र कानाराम जाति पटेल निवासी निम्बली पटेलान तहसील रोहट जिला पाली हाल सरपंच ग्राम पंचायत रोहट जिला पाली | | अनुपालसिंह पुत्र प्रेमसिंह भाटी जाति राजपूत निवासी—गोठड़ा, जिला नागौर राज. 341024 हाल तहसील रोहट जिला पाली। |

**"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"**

उपस्थिति :—

1. अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिंह राजपुरोहित, प्रार्थी भरत पटेल की ओर से (पंचायत निगरानी संख्या 168/2024)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

**—: निर्णय :—**

**दिनांक : 27/03/2025**

विकास अधिकारी पंचायत समिति रोहट एवं अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दोनो पंचायत निगरानी ग्राम पंचायत रोहट द्वारा मिसल संख्या 74/2017—18, प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक 05.10.2017 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी अनुपालसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 06 दिनांक 11.09.2019 के विरूद्ध होने के कारण दोनों पंचायत निगरानी को समेकित कर निर्णय पारित किया गया। उक्त दोनों निगरानी को अलग अलग दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति, रोहट ने निगरानी पेश कर निवेदन किया कि जैर निगरानी पट्टे के आवेदन पत्र पर सरपंच के हस्ताक्षर ही नहीं है और न ही स्थल नक्शा पर आवेदक के हस्ताक्षर है। सरबर्क फार्म पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है। आक्षेप आमंत्रित करने के नोटिस पर चस्पानगी रिपोर्ट के सम्बन्ध में 2 गवाहों के हस्ताक्षर नहीं है तथा मिसल में आज्ञाओं की सूची अपूर्ण है, साथ ही निर्णय पत्र अपूर्ण है। उक्त पट्टे की भूमि आबादी व राजस्व भूमि की सीमा पर है, जिसमें कही पर भी खसरा संख्या नहीं लिखे हुये है। मौके पर उक्त पट्टे की भूमि खाली है किसी प्रकार का मकान व रहवास

अति. जिला कलेक्टर पाली

नहीं है लेकिन ग्राम पंचायत ने विधिविरूद्ध तरीके से राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 160 में दी गई प्रक्रिया की किसी भी रूप में पालना नहीं की गई है इसलिये जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे।

प्रार्थी भरत पटेल के अधिवक्ता ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी आराजी खाली भूखण्ड के रूप में स्थित है और तत्कालीन ग्राम पंचायत ने राज. पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जैर निगरानी पट्टा विधिविरूद्ध तरीके से जारी कर राजस्व की हानी की है जबकि नियम के अन्तर्गत पुराने गृहों का विनियमितिकरण करने का प्रावधान है। नियम 148 के तहत आक्षेप आमंत्रित किये जाने का दिनांक 20.09.2017 की ऑर्डरशीट में वर्णित है लेकिन ऐसा आक्षेप नोटिस की पुश्त पर चस्पानगी रिपोर्ट अंकित नहीं है। मिसल की सम्पूर्ण ऑर्डरशीट निर्धारित कम्प्यूटर फॉमेर्ट में तैयार की गयी है जिसमें भी नाप व पडौस का विवरण खाली छोड़ा हुआ है। निर्णय पत्र अपूर्ण है। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों की पालना नहीं करते हुये विधिविरूद्ध तरीके सेजैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिसे खारिज फरमावे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय श्रवणसुदा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत रोहट द्वारा मिसल संख्या 74/2017–18, प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक 05.10.2017 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी अनुपालसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 06 दिनांक 11.09.2019 के विरूद्ध पेश की है। पत्रावली पर उपलब्ध मुख्य कार्यकार अधिकारी जिला परिषद पाली के पत्र दिनांक 04.08.2021 की पालना में ग्राम पंचायत रोहट के पट्टो की प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के प्रथम पैरा में अंकितानुसार पट्टा बुक नम्बर 05 पट्टा संख्या 06 अनुपालसिंह पुत्र प्रेमसिंह कुल क्षेत्रफल 1715 वर्गफूट पंचायती राज नियम, 1996 के तहत नियम 157(1) के तहत जारी किए हुये है। उक्त पट्टा पंचायती राज नियम 157(1) के अन्तर्गत पचास वर्ष से अधिक पूर्व में निर्मित मकानो हेतु है लेकिन उक्त पट्टे कि भूमि पर किसी प्रकार का मकान/चार दिवारी बनी हुई नहीं है, वर्तमान में मौके पर अंग्रेजी बबूल की झाड़िया उगी हुई है, जिससे ग्राम पंचायत की राजस्व हानि हुई है तथा मिसल में भी कमीया पाई गयी है, इस प्रकार यह पट्टे नियम विरूद्ध जारी किये गये है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 2017(2)DNJ(Raj)730 Mangilal Meghwal vs state में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा, 157 के तहत पट्टा देने के लिए मौके पर पुराना मकान होना आवश्यक है।" जांच प्रतिवेदन के विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी जैर निगरानी पट्टा विधिविरूद्ध है। इसके अतिरिक्त जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया हैं। जहां तक ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने की अधिकारिता का प्रश्न है, तो यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने की अधिकारिता रखती है, आबादी के अतिरिक्त अन्य

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी किये जाने हेतु अधिकृत नहीं है। हस्तगत प्रकरणों में पट्टे जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं।

ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उनके साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत ही नहीं किया गया और न ही प्रार्थना पत्र पर आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक अंकित है, न ही आबादी भूमि के खसरे संख्या का अंकन है और न ही आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर है। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का आवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 05.09.2017, जो कि प्रथम आदेशिका थी, उसमें तीन पंचों को मौका निरीक्षण किये जाने के आदेश जारी किये गये, किन्तु तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा, उन्हें नामित नहीं किया गया। सम्पूर्ण आदेशिका कम्प्यूटर टाईप है, जो प्रथम दृष्टया एक ही दिन में तैयार किया जाना प्रतीत होता है। आवेदक द्वारा नियम 145(2) के तहत स्थल निरीक्षण के व्यय पेटे 25/– रुपये जमा करवाये जाने थे, जो नहीं करवाये गये। जैर आराजी का नक्शा कब बनाया गया, किस खसरे का बनाया गया, के सम्बन्ध में कोई जानकारी अंकित नहीं है और न ही आवेदक के नक्शे पर हस्ताक्षर है। इसके पश्चात नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) ''क से ड'' के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है।

जैर निगरानी पट्टा जारी करने से पूर्व कब्जा सत्यापन हेतु स्वतंत्र गवाहों के बयान ही नहीं लिये गये, साथ ही पंचों द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें भी मूलभूत तथ्यों का अभाव है। आदेशिका दिनांक 05.10.2017 में अंकितानुसार स्थल आबादी में होने की पटवारी हल्का रिपोर्ट पेश हो चुकी है परन्तु हस्तगत प्रकरण की मिसल में ऐसी कोई रिपोर्ट संलग्न नहीं है। प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उसका सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट अथवा गवाहों के हस्ताक्षर अंकित नहीं है तथा उक्त नोटिस के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त हुई अथवा नहीं ? यदि आपत्ति प्राप्त हुई, तो उक्त आपत्ति का क्या निस्तारण किया गया ? यह कहीं भी स्पष्ट नहीं हैं। साथ ही निर्णय पत्र में मूलभूत जानकारी का अभाव पाया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टे विधि सम्मत नहीं है इसलिये हस्तगत निगरानी याचिका में

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली

अति. जिला कलेक्टर पाली

प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप उपरोक्त दोनो पंचायत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत रोहट द्वारा मिसल संख्या 74/2017–18, प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक 05.10.2017 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 06 दिनांक 11.09.2019 को अपास्त किया जाता है। निर्णय पृथक–पृथक प्रतियों में लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर दोनों निगरानी याचिका में नत्थी किया जावे। निर्णय की सत्यप्रति के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 27/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली